न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी – [illegible] आर.ए.एस.

राजस्व अपील [illegible] 55/2018

फूलाराम पुत्र स्व. भागीरथ बिश्नोई निवासी डी/3 पटेलनगर बीकानेर

प्रार्थी.....

–:बनाम:–

1. सूरतीदेवी पत्नी स्व. मोडाराम मेघवाल निवासीनी ग्राम देशनोक वार्ड स. 16 कडेला बास तहसील व जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

....अप्रार्थीगण ...

अपील अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति अभिभाषक:–

1. श्री फूलाराम स्वयम प्रार्थी।
2. श्री राजकुमार व्यास, अभिभाशक अप्रार्थीगण सं.1

–:निर्णय:–

दिनांक–26/7/2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 क के अधीन प्रस्तुत कर ग्राम सुजासर के खसरा न.464/283 की 3.02 है.(12बीघा) में आने जाने हेतु खसरा न. 282/2 के 4.65 है. के उतरी सीव की तरफ 6 मीटर चौडा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

2– संक्षेप में प्रकरण के आवश्यक एवं सुसगत तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 2.5.18 को प्रार्थी फुलाराम पुत्र स्व. भगीरथ विश्नोई द्वारा 251 क आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सुजासर के खसरा न.464/283 की 3.02 है.(12बीघा) में आने जाने हेतु खसरा न. 282/2 के 4.65 है. के उतरी सीव की तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रस्तत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर अप्रार्थी सं.1 सूरती देवी दिनांक 18.6.18 को कैम्प आबासर मे उपस्थित आये व जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अप्रार्थी न.1 के खेत मे से न तो कभी गया है एव ना ही जाता है अपितु मागीलाल व केवलराम सुथार के खेत मे से आता जाता हैं केवलराम के खेत मे से रास्ता है जो प्रार्थी के खेत के पश्चिम की और स्थित खेत खसरा न.413/266 मागीलाल व खसरा न. 266 केवलराम के खेत मे से आता जाता है जो वर्तमान मे चल रहा है। प्रार्थी द्वारा मागीलाल ,केवलराम सुथार आदी के परिवार से भूमि कय की थी एव केवलराम के खेत खसरा न.266 मे स्थित रास्ते मे से आवागमन करता है। इस प्रकार प्रार्थी को दुसरे रास्ते की कोई आवश्यकता नही है अपितु प्रार्थी अप्रार्थी सं.1 के

खेत को अपने मकान की स्थिति से दूसरे रास्ते की मांग की है जो जायज नही है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा अपने जवाब के विशेष कथन मे भी इसी बात को दोहराया है कि प्रार्थी जो रास्ता खसरा न.413/266 व 266 मे से गत दस पन्द्रह वर्षो से है जिसका उपयोग कर रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक [illegible] को कैम्प आवासर मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस स्थान पर से प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहने हेतु निवेदन किया है उसी स्थान पर पक्का निर्माण कार्य (कमरा) कराया जा रहा है, के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार बीकानेर को कमिशनर नियुक्त कर रास्ता हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अप्रार्थी स.1 की तरफ से श्री राजकुमार व्यास वकील दिनांक [illegible] को उपस्थित आये। दिनांक 9.1.19 को तहसीलदार बीकानेर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, के अनुसार प्रार्थी के खसरा न. 283/1 मे जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा मांगे जा रहे मार्ग जो कि देशनोक से ग्राम सुजासर का कच्चा मार्ग है, की दुरी मुताबिक नक्शे के लगभग 275 मीटर है। प्रार्थी खसरा न.285/2 मे से अपने आने-जाने हेतु रास्ता चाहता है। उसके तीन दिशा पूर्व,उत्तरी व पश्चिम मे तारबन्दी व जाली से बाड कर रखी है। खेत खसरा न.283/1 मे आने जाने हेतु वर्तमान मे कोई मार्ग, पगदण्डी आदि नही है। प्रार्थी के खेत खसरा न.283/1,283/2,266 व 413/266 पूर्व मे एक ही खेत था जिस के बाद मे खाता विभाजन से अलग-अलग हो गये। प्रार्थी खेत खसरा न.285/2 खातेदार सुरती देवी पत्नी मोडाराम मेघवाल साकिन देशनोक के उतरी सीमा से होकर चाहता है, उक्त सीमा पर खातेदार द्वारा एक नया मकान बनाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.3.19 को साक्ष्य स्वरुप शपथ पत्र स्वयं का व सुरजाराम व माणकचन्द के प्रस्तुत किये जिसकी प्रतिया वकील अप्रार्थी न.1 को दी गई। अप्रार्थी न.1 के वकील द्वारा दिनांक 19.6.19 को साक्ष्य स्वरुप श्री सोहनदान चारण , भागीरथ ,बद्री प्रसाद एवं अप्रार्थी न.1 सुरती देवी के प्रस्तुत किये जिसकी प्रति प्रार्थी को दी जाकर दिनांक 10.7. 19 को प्रार्थी व वकील अप्रार्थी न.1 की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा न.266 मे डोटेड लाईन है यह न तो कोई रास्ता है एव ना ही मौके पर कचालू है। कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है एवं यह डोटेड लाईन भी कही जाकर नही मिलती है। मै सुजासर से जाऊंगा यही सबसे उपयुक्त रास्ता है। अतः रास्ता स्वीकार किया जावे तथा रास्ते मे बनाये नये मकान को नही तोडा जाये तो दुसरी दिशा से दे दिया जावे। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया कि अप्रार्थी स.1 ने अपने जवाब मे लिखा है कि इनका आवागमन पश्चिम साईड से है मै वही से रास्ता माग रहा हूँ तथा प्रार्थी ने यह भी जाहिर किया की तहसीलदार बीकानेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 283/1 में जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता दिये जाने का आदेश फरमावे।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

विद्वान वकील अप्रार्थी न.1 ने बहस मे कथन किया कि रास्ते की आवश्यकता देखनी है, सुविधा के लिए रास्ता नही है। खसरा न. 266 मे जो डोटेड है वह रास्ता है जो देशनोक तक जाता है। जिसका उपयोग किया जा रहा है। वकील अप्रार्थी सं.1 ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि पुराना कमरा गिर गया था का जिर्णोद्वार कराया है। नया रास्ता कायम करने से मेरे खेत के दो टुकड़े हो जायेगे। जबकि खसरा नम्बर 266 मे डोटेड रास्ता चल रहा है। अतः जब रास्ता मौजूद है तो अन्य रास्ता नही मिलना चाहिये। वकील अप्रार्थी ने यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र में लिखा है कि रास्ता नही है जबकि खसरा न.266 मे डोटेड रास्ता चल रहा है। इस हेतु वकील अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय की नजीर 2012(1) डी.एन.जी राजस्थान पेज न. 447 प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4— हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र,जवाब, तहसीलदार बीकानेर की रिपोर्ट व दोनो विद्वान अभिभाषकगण की बहस व प्रस्तुत नजीर पर मनन किया प्रकरण मे यह सत्य है कि प्रार्थी के खेत मे जाने का रास्ता नही है। इसलिए यह सिद्व होता है ,रास्ते की आवश्यकता है। जहा से प्रार्थी ने रास्ता मांगा है वो उसके गांव सुजासर से जोड़ता है। प्रार्थी के खेत की दूसरी साइड रास्ता डोटेड लाईन रेखाकित है वह 266 नम्बर खसरे में है ,वह 266 के बाद बंद भी है तथा दूरी के हिसाब से भी इसी साईड के रास्ते से नजदीक नहीं है। इसलिए रास्ते को मंजूर शुदा रास्ते खसरा न.285/2 के साथ गुजरने वाले रास्ते से दिया जाना हर मानक व कानून आर.टी.ए. की धारा 251 ए की मंशा के अनुसार उपयुक्त है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि रास्ता चाहिए कही से भी दिया जावे। अप्रार्थी ने अपने खसरे में खसरा नम्बर 284 की तरफ सीमा पर कमरे का निर्माण किया है। हालांकि रास्ता मांगने के बाद निर्माण करना उचित नहीं है फिर भी अप्रार्थी को मकान का नुकसान ना हो। इसलिए ग्राम सुजासर के खसरा नम्बर 285/2 मे से खसरा नम्बर 286 के साथ–साथ रास्ते से लेकर खसरा नम्बर 464/283 तक 16½ फिट का रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी इस रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल. सी. की दुगनी राशि तहसील कार्यालय बीकानेर मे जमा करायेगा। तहसीलदार बीकानेर यह राशि अप्रार्थी को भुगतान करेगा। तहसीलदार बीकानेर राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे ईन्द्राज करेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालानार्थ प्रेषित की जावे।

6— निर्णय आज दिनांक 26.7.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कैलाश चन्द्र
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली [illegible]
तहसीलदार बीकानेर [illegible] तारीख से कब
पत्रावली [illegible]
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1-8-19 आज यह पत्रावली प्रार्थी फुलाराम द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 26-7-2019 में ग्राम मुंजासर के खसरा नं. 286 के साथ-साथ 16½ फिट का रास्ता स्वीकृत किया गया है, मे अप्रार्थी द्वारा कमरा बनाया हुआ है के स्थान पर 285/2 में से दक्षिण की तरफ खि. नं. 285/1 के साथ साथ रास्ता स्वीकृत करने बाबत दुरुस्ती करने का श्रम कराये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे निवेदित तथ्य लिपिकीय त्रुटि का होने के कारण स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-7-2019 के पेज नं. 3 मे पैरा नं. 4 की लाइन नं. 10 मे अंकित खसरा नं. 284 के स्थान पर खसरा नं. 286 एवं लाइन नं. 12 व 13 मे खसरा नं. 285/2 मे से खसरा नं. 286 के साथ-साथ के स्थान पर 285/2 मे से दक्षिण की तरफ 285/1 के साथ पढ़ा जावे, की दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं शेष आदेश यथावत रहेगा। दुरुस्ती आदेश की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पूर्व में जारी आदेशों के क्रम मे प्रेषित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर